



बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

महेन्द्र प्रसाद यादव,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव।
स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
बिहार।

पटना-१५, दिनांक- २४/०७/२०२६

विषय :- भारत के राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को गाने या बजाने के संबंध में ।

प्रसंग :- गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक-१४/०२/२०२५ पब्लिक,
दिनांक-१३.०७.२०२६

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संबंध में कहना है कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर भारत के राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान से संबंधित आदेशों की प्रतियां, जिनका दृढ़ता से पालन किया जाना है, को अनुलग्नक-I एवं अनुलग्नक-II उक्त पत्र में संलग्न है।

उक्त पत्र में उन अवसरों की पूरी सूची दी गई है, जिन पर भारत का राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान बजाया या गाया जाना अनिवार्य है। वे अवसर भी सम्मिलित हैं, जिन पर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाया या बजाया जा सकता है। साथ ही वैसे अवसर भी सम्मिलित हैं, जिन पर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को दो बार, यानी कार्यक्रम की शुरुआत और समापन दोनों समय पर गया या बजाया जाएगा।

अतः अनुरोध है कि भारत के राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को गाने या बजाने के संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

२४.०७.२०२६
(महेन्द्र प्रसाद यादव)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ई-मेल

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक:-०१/स्था०-२६-२६/२०२४- ४४६०

पटना, दिनांक- ०३/०८/२०२६

प्रतिलिपि:- जल संसाधन विभाग (मुख्यालय एवं मुख्य अभियंता कार्यालय) में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२. कार्यपालक अभियंता IT, WRD IT Centre, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं IT Manager, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित सभी मुख्य अभियंताओं को ईमेल करने हेतु प्रेषित।
अनु०:-यथोक्त।

(संजय प्रसाद)

सरकार के उप सचिव